न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 187/2020

1. सुबेसिंह पुत्र लखनसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।
2. भवानीसिंह पुत्र लखनसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. लखनसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।
2. राजबाला पुत्री लखनसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।
3. सुमन पुत्री लखनसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।
4. अनीता पुत्री लखनसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही आसन के खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 166 की 12.027है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/6 हिस्सा अर्थात 2.004है0 में से प्रतिवादी सं0 1 लखनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर व खाता सं0 86/85 के खसरा सं0 8 की 7.8280है0, खसरा सं0 16 की 4.2620है0 कुल 12.090है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 लखनसिंह के नाम 478 हिस्सा में से 1/6 हिस्सा अर्थात 1.007है0 खातेदारी दर्ज में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को संयुक्त रूप से 0.502है0 व प्रतिवादी सं0 2 राजबाला को 0.506है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 सुबेसिंह, वादीगण सं0 2 भवानीसिंह व प्रतिवादी सं0 2 राजबाला को हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 187/2020

1. सुबेसिंह पुत्र लखनसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।
2. भवानीसिंह पुत्र लखनसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।

:— **वादीगण**

ब ना म

1. लखनसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।
2. राजबाला पुत्री लखनसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।
3. सुमन पुत्री लखनसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।
4. अनीता पुत्री लखनसिंह जाति राजपूत निवासी आसन त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**
वकील श्री राममूर्ति ताखर: **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 29-01-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 166 की 12.027है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/6 हिस्सा अर्थात 2.004है0 व रोही मोजा आसन के खाता सं0 86/85 के खसरा सं0 8 की 7.8280है0, खसरा सं0 16 की 4.2620है0 कुल 12.090है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 लखनसिंह के नाम 478 हिस्सा में से 1/6 हिस्सा अर्थात 1.007है0खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता विजयसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। लखनसिंह से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 लखनसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर [illegible] गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त [illegible] वादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया [illegible] मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपने पहचान [illegible] तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा [illegible] की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु भवानीसिंह पुत्र लखनसिंह जाति राजपूत के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी आसन प्रदर्श 1 व जमाबंदी खाता सं0 86/85 प्रदर्श 02 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सूरतपुरा प्रदर्श 03 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम आसन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्शित करवाये उनमें प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में लखनसिंह के दो पुत्र व तीन पुत्रीयां जो वाद में वर्णित है के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही रोही आसन के खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 166 की 12.027है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/6 हिस्सा अर्थात 2.004है0 में से प्रतिवादी सं0 1 लखनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर व खाता सं0 86/85 के खसरा सं0 8 की 7.8280है0, खसरा सं0 16 की 4.2620है0 कुल 12.090है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 लखनसिंह के नाम 478 हिस्सा में से 1/6 हिस्सा अर्थात 1.007है0 खातेदारी दर्ज में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को संयुक्त रूप से 0.502है0 व प्रतिवादी सं0 2 राजबाला को 0.506है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही आसन के खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 166 की 12.027है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/6 हिस्सा अर्थात 2.004है0 में से प्रतिवादी सं0 1 लखनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर व खाता सं0 86/85 के खसरा सं0 8 की 7.8280है0, खसरा सं0 16 की 4.2620है0 कुल 12.090है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 लखनसिंह के नाम 478 हिस्सा में से 1/6 हिस्सा अर्थात 1.007है0 खातेदारी दर्ज में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को संयुक्त रूप से 0.502है0 व प्रतिवादी सं0 2 राजबाला को 0.506है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 सुबेसिंह, वादीगण सं0 2 भवानीसिंह व प्रतिवादी सं0 2 राजबाला को हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29-1-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:21 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner